भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. Ł4296
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

गैर-कार्यशील क्वाट्र्ज खानों की कार्यशीलता

Ł4296. श्रीमती मालविका देवी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) कालाहांडी में गैर-कार्यशील क्वाट्र्ज खानों और अर्ध-कीमती पत्थर की खानों की कार्यशीलता और नुआपाड़ा में गैर-कार्यशील ग्रेनाइट खानों की कार्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) खान कामगारों की सुरक्षा, विशेषकर खानों में ब्लास्टिंग प्रचालनों के दौरान विस्फोटकों के सुरक्षित संचालन के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) ओडिशा में अवैध बालू खनन और मैंगनीज अयस्क के अवैध परिवहन के मुद्दे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): ओडिशा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओडिशा के कालाहांडी जिले में क्वाट्र्ज और अर्ध-कीमती पत्थरों की तेरह गैर-कार्यशील खानें हैं। ये खानें वैधानिक मंजूरी के अभाव में गैर-कार्यशील हैं। इसके अलावा, ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में कोई ग्रेनाइट खान नहीं है।

(ख): खान में काम करने वाले श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 लागू किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने के लिए खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों

का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। ओडिशा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खानों में विस्फोट के दौरान उचित सुरक्षा उपाय/ सावधानियां सुनिश्चित की जाती हैं और खनन क्षेत्र अधिकारियों द्वारा स्थिति की बारीकी से निगरानी की जाती है।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

ओडिशा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहां तक रेत सहित गौण खनिजों का संबंध है, सभी स्रोतों का आई4एमएस (एकीकृत गौण खनिज खान और प्रबंधन प्रणाली) पर मानचित्रण किया जा रहा है और ढुलाई के लिए ई-ट्रांजिट परमिट जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी स्रोतों को डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण के लिए लिया जा रहा है और प्रचालन क्षेत्र की पहचान पिलर पोस्टिंग द्वारा की जा रही है। अवैध रेत खनन को रोकने के लिए जिला स्तरीय कार्य बल समिति, अनुमंडल स्तरीय कार्य बल समितियां और तहसील स्तरीय प्रवर्तन दस्ते गठित किए गए हैं और अवैध ढुलाई की जांच के लिए पूरे जिले में नियमित रूप से छापेमारी की जाती है।

इसके अलावा, मैंगनीज अयस्क सहित प्रमुख खनिजों की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने अवैध उठाव और ढुलाई की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय प्रवर्तन दस्ते और जिला स्तरीय कार्य बल का गठन किया है। सभी गतिविधियों की निगरानी आई3एमएस (एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से की जा रही है।

*****